कर दी है । यह जांच श्री ज्ञान प्रकाश, भारत के सेवा-निवृत्त नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है । आशा है समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने में प्रस्तुत कर देगी ।

राज्यों के खाद्य-सचिवों की बैठक

581. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की खाद्य सचिव की कोई बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस बैठक में भाग लिया है; और

(ग) बैठक का विषय क्या था और यदि उसमें कोई निर्णय लिये गये थे तो वे क्या थे?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन राज्यों ने बैठक में भाग लिया उनके नाम संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं । (नीचे देखिये)

(ग) 11 जुलाई, 1994 को हुई बैठक की कार्यसूची में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण के लिये आयातित चीनी की संचलन योजना, मूल्य और भुगतान के तौर-तरीके का निर्धारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्यों के पास चीनी के स्टाक की अद्यतन स्थिति पर विचार-विमर्श करना शामिल था । प्रत्येक राज्य में चीनी की उपलब्धता, चीनी के मूल्यों और चीनी की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था । बैठक में लिये गये निर्णय संलग्न विवरण–II में दिये गये हैं ।

विवरण—I

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जिन्होंने 11 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया

1. आंध्र प्रदेश
2. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
3. बिहार
4. दिल्ली
5. गुजरात
6. हिमाचल प्रदेश
7. हरियाणा
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. मणिपुर
13. महाराष्ट्र
14. मेघालय
15. पंजाब
16. पांडिचेरी
17. राजस्थान
18. तमिलनाडु
19. त्रिपुरा
20. उत्तर प्रदेश
21. पश्चिम बंगाल

विवरण–II

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति सचिवों की 11 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई बैठक में लिये गये निर्णय

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का लेवी चीनी का कोटा 3.35 लाख मीटरी टन प्रति मास बना रहेगा । तथापि, जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है कि त्यौहार कोटे का उनका शेयर उनकी पसन्द के महीने

में आवंटित किया जायेगा । सितम्बर, 1994 के मास और उससे आगे लेवी चीनी का आवंटन आयातित चीनी और स्वदेशी चीनी का सम्मिश्रण होगा ।

(2) महाराष्ट्र और तमिलनाडु को छोड़कर सीधे आवंटी राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम बन्दरगाहों से निर्दिष्ट वितरण केन्द्रों तक आयातित लेवी चीनी के संचलन का प्रबंध करेगा ।

(3) महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा सभी सीधे आवंटी राज्यों को तुरन्त भारतीय खाद्य निगम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिये ताकि उन वितरण-केन्द्रों का निर्धारण किया जा सके जहां से भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य-नामितों को आयातित चीनी सुपुर्द की जायेगी । मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो रेल शीर्ष से लदे हुये रैकों में सुपुर्दगी लेना चाहते हैं, गन्तव्य स्थानवार अपनी आवश्यकतायें भारतीय खाद्य निगम को सूचित करें ।

(4) महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मामले में, भारतीय खाद्य निगम उनके पक्ष में एक जहाज नामजद करेगा और राज्य सरकार, बन्दरगाह से ही राज्य में उपभोक्ता गन्तव्य स्थान तक चीनी के संचलन का प्रबंध करेगा ।

(5) सीधे आवंटी राज्यों के संबंध में, राज्य सरकार को आयातित चीनी की सुपुर्दगी भारतीय खाद्य निगम द्वारा 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर की जायेगी किन्तु इसमें से खाद्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यथा-स्वीकृत थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन घटाया जायेगा । ढलाई प्रभार, जहां अनुमेय होंगे, की प्रतिपूर्ति बिलों को प्रस्तुत करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाद में की जायेगी ।

(6) भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्यों के मामले में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपुर्दगी के संबंध में मौजूदा प्रणाली और भुगतान की कार्यविधि जारी रहेगी ।

Productlon and requirement of Suga

582. SHRI RAMNATH KOVIND : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what was the sugar production in the country duriag 1953-94 and what is the estimated production for the year 1994-95 and the present production status;

(b) how much reserve store of sugar is estimated at the end of the year 1994;

(c) what is the estimated annual requirement of sugar for distribution through open market and through public distribution system;

(d) what are the estimated of sugar import for the year 1994-93 and the quantity for which supply order have been placed and how much supply received so far ;

(e) what are the details of the importing agencies and with whom the contract have been executed abroad;

(f) what was the import at the end of the year 1993-94 and what is the contract rate for these imports;

(g) whether the change in the rates ha/e taken place because of leak in import requiremsat to the foreign suppliers; and

(h) if so, what action has been taken against the persons responsible ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The sugar production during the current 1993-94 sugar season (October to September) upto 22-6-1994 was 94.50 lakh tonnes (provisional). It is too early to give estimates of sugar production for the 1994-95 sugar season.